राजस्व अपील संख्या – 48/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/231

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी श्री जवाहर चौधरी (आर.ए.एस.)

राजस्व अपील संख्या – 48/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/231

अपीलांट्स

1. श्रीमती चंपा धर्मपत्नी स्व. श्री किशनाराम
2. रामसिंह पुत्र स्व. श्री किशनाराम, उम्र 21 वर्ष
3. रेखा पुत्री स्व. श्री किशनाराम, उम्र 19 वर्ष
4. पूजा पुत्री स्व. श्री किशनाराम, उम्र 15 वर्ष, अवयस्क
5. रामनारायण पुत्र स्व. श्री किशनाराम उम्र 10 वर्ष, अवयस्क

अपीलार्थी सं. 04 व 05 अवयस्क द्वारा उनकी प्राकृतिक संरक्षिका माता श्रीमती चंपा धर्मपत्नी स्व. श्री किशनाराम जाति विश्नोई निवासी खेजडली कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।

बनाम

रेस्पोन्डेन्टस –

1. लादूराम पुत्र स्व. श्री खींयाराम,
2. मांगीलाल पुत्र स्व. श्री खींयाराम, फौत के कायम मुकाम
   2/1. यशदीप पुत्र स्व. श्री मांगीलाल
   2/2. श्रीमती लूंगादेवी धर्मपत्नी स्व. श्री मांगीलाल
   सभी जाति विश्नोई निवासी खेजडली कला, तहसील लूणी, जिला जोधपुर।
3. बगडूराम पुत्र स्व. श्री खींयाराम
4. तहसीलदार, लूणी, जिला जोधपुर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध का नामांतरकरण सं. 197 दिनांक 31.10.1971 ग्राम खेजडली कला, जो तहसीलदार, जोधपुर द्वारा स्वीकृत किया गया, को निरस्त करने हेतु।

उपस्थित –

1. अधिवक्ता श्री लाधूराम पूनिया, श्री अशोक कुमार पूनिया (अपीलांट्स की ओर से)
2. अधिवक्ता रवीना लामरोड (प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 की ओर से)

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या – 48/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/231

निर्णय

दिनांक– 29.08.2025

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अंतर्गत ग्राम खेजडली कला के नामांतरकरण सं. 197 पर तहसीलदार, जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 31.10.1971 को अपास्त करने हेतु न्यायालय अति. जिला कलक्टर (ग्रामीण), जोधपुर में दिनांक 03.11.2023 को पेश की गई है, जहां से स्थानांतरित होकर आने से इस न्यायालय में दिनांक 22.01.2025 को दर्ज रजिस्टर की गई।

2. प्रकरण अपील दर्ज रजिस्टर कर प्रत्यर्थीगण को नोटिस जारी किये गये तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया गया। प्रत्यर्थी सं. 1, 2/1, 2/2 व 3 की ओर से रवीना लामरोड, अधिवक्ता ने वकालतनामा पेश किया।

3. अपील मीमों में अंकित विवरण अनुसार प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम खेजडली कला के उक्त नामांतरकरण अनुसार खसरा नंबर 491 रकबा 77–18 बीघा भूमि सुखराम पुत्र सूरा, घेवरिया पुत्र खिंया, जोधा पुत्र धुडाराम विश्नोई की खातेदारी में दर्ज थी। अपीलांट्स का कथन है कि अपीलार्थी के पूर्वज खींयाराम पुत्र सुराराम दर्ज थे, जिनका दिनांक 01.12.2014 को देहांत हो गया तथा उसके बाद उनकी पत्नी झमकू का भी देहांत हो गया। अपीलार्थीगण व प्रत्यर्थी सं. 1 से 3 तक स्वर्गीय खींयाराम के प्रथम श्रेणी के वारिसान है। अपीलांट सं. 2 से 5 तक को जन्म से अधिकार प्राप्त है। उक्त भूमि का एक नामांतरकरण सं. 39 बंटवाडा बताकर, खींयाराम के पुत्र घेवरिया के नाम बिना किसी आदेश व खींयाराम की सहमति के बिना दर्ज कर दिया, जिसके विरूद्ध खींयाराम द्वारा प्रस्तुत अपील सं. 37/2012 खींयाराम बनाम लादूराम लंबित चल रही है।

उक्त घेवरिया पुत्र खींयाराम वर्ष 1970 में लाऔलाद फौत हो गया, तब पटवारी द्वारा नामांतरकरण सं. 197 दिनांक 15.10.1970 खोला, जिसे दिनांक 31.10.1971 को तहसीलदार, जोधपुर ने स्वीकृत किया। घेवरिया के वारिश पिता खींयाराम व उसकी माता झमकू थे, परंतु पटवारी ने कानून ताक में रखकर खींयाराम व झमकू को दरकिनार कर, घेवरिया के भाई प्रत्यर्थी लादूराम, मृतक मांगीलाल, बगडूराम व हीराराम के नाम, उन्हे घेवरियां के पुत्र बताकर नामांतरकरण दर्ज करा दिया तथा अपीलांट के पिता किशनाराम, जो कि उक्त लादूराम वगैरा का भाई था, का नाम छोड दिया गया। किशनाराम, घेवरिया, लादूराम, मांगीलाल, बगडराम व

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

हीराराम सभी खींयाराम के पुत्र है तथा खींयाराम की मृत्यु के बाद, खींयाराम की संपति के प्रथम श्रेणी के उत्तराधिकारी है तथा घेवरियां के द्वितीय श्रेणी के वारिसान है। चूंकि पिता खींयाराम व माता झमकू का देहांत हो चुका है। अतः अब घेवरिया के संपति के उत्तराधिकारी अपीलांट्स व प्रत्यर्थी लादूराम, मांगीलाल के वारिसान व बगडूराम ही है। खींयाराम के पुत्र हीराराम का देहांत हो चुका है। हीराराम की पत्नी व उसके इकलौते पुत्र का भी देहांत हो चुका है तथा हीराराम का प्रथम श्रेणी का कोई उत्तराधिकारी नहीं है तथा अपीलांट्स व प्रत्यर्थी 1 से 3 तक ही हीराराम के उत्तराधिकारी है।

4. प्रत्यर्थी लादूराम, बगडूराम, यशदीप व अपीलार्थी चंपा व रेखा की ओर से दिनांक 20.08.2025 को लिखित सहमति पत्र पेश कर कथन किया है कि विवादग्रस्त भूमि खींयाराम पुत्र सूरा की थी, जिसे बंटवारा में घेवरिया के नाम दर्ज करवा दी। घेवरिया लाऔलाद अविवाहित फौत हो गया। पटवारी ने घेवरिया के कानूनी वारिसान की जांच सही नहीं की तथा घेवरिया के भाई प्रत्यर्थी लादूराम, मांगीलाल व बगडूराम को घेवरिया के पुत्र बताकर, नामांतरकरण दर्ज कर दिया तथा किशनाराम का नाम छोड दिया। हकीकत में घेवरिया के वारिसान पिता खींयाराम व माता झमकू ही थे, जिनके नाम नामांतरकरण दर्ज नहीं किया। इसके बाद खींयाराम व झमकू का देहांत हो गया है, अतः आराजी अपीलांट्स व प्रत्यर्थीगण में निहित हो चुकी है। अतः प्रत्यर्थीगण अपीलार्थी का नाम सामलात दर्ज करवाने हेतु सहमत है तथा इनके पिता का नाम भी खींयाराम दर्ज कर संशोधित करवाने में भी सहमत है। अतः अपीलांट्स की अपील की जाकर, खींयाराम के सभी वारिसान के नाम नामांतरकरण दर्ज करने हेतु तहसीलदार, लुणी को आदेशित करे। दिनांक 20.08.2025 को लादूराम, बगडूराम, यशदीप, लूंगा प्रत्यर्थीगण तथा रामसिंह (अपीलांट) ने न्यायालय में उपस्थित होकर इस अपील की आदेशिका में उक्त सहमति स्वरूप हस्ताक्षर किये, जिनकी पहचान अपीलांट के अधिवक्ता श्री लालाराम पूनिया तथा प्रत्यर्थी अधिवक्ता रविना, अधिवक्ता द्वारा की गई।

5. उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकों की बहस सुनी गई।

6. अपीलांट्स के विद्वान अधिवक्ता श्री अशोक कुमार पुनिया ने अपील मीमों में अंकित अभिकथनों को दोहराते हुए कथन किया कि मूल आराजी खींयाराम की खातेदारी की भूमि थी, परंतु पटवारी ने बिना किसी आदेश के व खातेदार खींयाराम की

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

सहमति के बिना नामांतरकरण सं. 39 से आराजी बंटवाडा होने का बताकर खींयाराम के पुत्र घेवरिया के नाम दर्ज कर दी गई, जिसकी अपील सं. 31/2012 खींयाराम बनाम लादूराम, उपखण्ड अधिकारी, लूणी के न्यायालय में लंबित है।

घेवरिया का सन् 1970 में देहांत होने पर अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 197 दिनांक 31.10.1971 तहसीलदार, जोधपुर द्वारा, घेवरिया के भाई लादूराम, मांगीलाल व खींयाराम के नाम, घेवरिया के पुत्र बताकर दर्ज कर दिया तथा अपीलार्थी का नाम दर्ज नहीं किया गया। घेवरिया के वारिसान पिता खींयाराम व माता झमकू उस समय जीवित थे। अब पिता खींयाराम व झमकू का भी देहांत हो चुका है तथा घेवरिया अविवाहित लाओलाद फौत हो चुका है। अतः घेवरिया के कानूनी वारिसान, उसके भाई–अपीलांट का पिता/पति–किशनाराम, प्रत्यर्थी लादूराम, मांगीलाल के वारिसान व बगडूराम पिता खींयाराम ही है। अपीलांट की अपील को, प्रत्यर्थीगण ने सहमति पत्र पेश कर स्वीकार कर लिया है तथा अपीलांट्स का भी प्रत्यर्थीगण के साथ नाम दर्ज करवाने हेतु वे सहमत है। अतः अपील स्वीकार की जाकर रिकॉर्ड में अपीलांट्स का नाम दर्ज किया जावे।

7. प्रत्यर्थीगण की विद्वान अधिवक्ता रविना ने, अपीलांट्स की बहस का प्रत्युत्तर देते हुए कथन किया कि अपीलांट्स भी खींयाराम के वारिसान है तथा घेवरिया का भाई किशनाराम है। अतः अपील स्वीकार कर, अपीलांट्स को भी प्रत्यर्थीगण के साथ सहखातेदार दर्ज करने में उन्हे कोई आपत्ति नहीं है तथा प्रत्यर्थीगण ने लिखित में भी सहमति प्रदान कर दी है, जिस पर बगडूराम, लादूराम व यशदीप के हस्ताक्षर है तथा प्रत्यर्थी लूंगादेवी ने भी हाजिर अदालत होकर सहमति दे दी है। अतः अपील स्वीकार कर ली जावे, प्रत्यर्थीगण को कोई आपत्ति नहीं है। साथ में यह भी निवेदन किया कि अपीलाधीन नामांतरकरण में लादूराम, मांगीलाल व बगडूराम के पिता का नाम गलत रूप से घेवरिया लिखा है, उसे संशोधित किया जाकर पिता का नाम खींयाराम दर्ज किया जावे।

8. हमने पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व अधीनस्थ न्यायालय के रिकॉर्ड का अध्ययन कर अवलोकन किया। उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दौरान बहस प्रस्तुत कथनों व तर्कों पर मनन किया। प्रस्तुत सहमति प्रार्थना पत्र दिनांक 20.08.2025 में अंकित कथनों का अवलोकन किया।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

9. (a)अपील मीमों के साथ इस अपील में नामांतरकरण सं. 197 ग्राम खेजडली कला की प्रमाणित प्रति पेश की है, जिसके कॉलम सं. 5 में इन्द्राज इस प्रकार अंकित है, जो कॉलम सं. 2 में अंकित जमाबंदी के खाता सं. 218 के आधार पर लिखे जाते है:

सुखराम पुत्र सुराराम, घेवरिया पुत्र खींयाराम, जोधा पुत्र धुलाराम विश्नोई

उक्त इन्द्राजों के सामने कॉलम सं. 6 में ख.नं. 491 रकबा 77–18 बीघा अंकित है। कॉलम सं. 14 में घेवरराम 2 साल से फौत तथा कॉलम सं. 11 में इस प्रकार इन्द्राज किये है:–

सुखाराम पुत्र सुराराम, लादूराम, मांगीलाल, बगडूराम, हीराराम पिता घेवरराम, जोधराम पुत्र धुडाराम सा. देह खातेदार।

उक्त इन्द्राजों को तहसीलदार, जोधपुर ने दिनांक 31.10.1971 को स्वीकृत किया है तथा दिनांक 31.10.1971 के आदेश को 46 वर्ष बाद दिनांक 03.11.2023 को अपीलांट्स ने आक्षेपित किया है तथा स्वयं को किशनाराम पुत्र खींयाराम के वारिसान बता रहे है तथा किशनाराम को उक्त लादूराम, मांगीलाल, बगडूराम, हीराराम का सगा भाई होना अभिकथित किया है तथा लादूराम, मांगीलाल, बगडूराम, हीराराम के पिता का वास्तविक नाम खींयाराम होना जाहिर कर रहे, है तथा इनके पिता का नाम नामांतरकरण में घेवरराम गलत दर्ज किया है एवं वे घेवरराम के सगे भाई है।

अपील मीमों के पैरा सं. 2 अनुसार नामांतरकरण सं. 39 बंटवाडा बताकर घेवरिया के नाम बिना किसी आदेश व खींयाराम की सहमति के बिना घेवरिया के नाम दर्ज किया है, जिसकी अपील सं. 31/2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी में लंबित है। जो ख.नं. 491 की भूमि से संबंधित है (खींयाराम बनाम लादूराम), जिसमें अब ये अपीलांट पक्षकार है।

(b)आक्षेपित नामांतरकरण सं. 197 घेवरिया को फौत बताकर लादूराम, मांगीलाल, बगडूराम, हीराराम के पक्ष में, इनको घेवरराम का पुत्र बताकर दर्ज किया है। अपीलांट्स का कथन है कि आक्षेपित नामांतरकरण दर्ज करते समय घेवरिया का पिता खींयाराम व माता झमकू देवी जीवित थी, अतः नामांतरकरण माता पिता के नाम दर्ज किया जाना चाहिए था, जो कि प्रथम वर्ग के वारिस है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

हिंदु उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के प्रावधानानुसार एक्ट के संलग्न अनुसूची अनुसार प्रथम श्रेणी के वारिसान पुत्र, पुत्री, विधवा, माता, पौत्र, पौत्री, प्रपौत्र, प्रपौत्री वगैरा है। वर्ग प्रथम में पिता सम्मिलित नहीं है।

द्वितीय श्रेणी में पिता कमांक 1 पर है तथा भाई 3 नंबर पर व बहिने 4 नंबर पर है।

उक्त विधि प्रावधानानुसार, अगर घेवरिया लाऔलाद, अविवाहित फौत हुआ है तो मृत्यु की तिथि को जीवित माता के नाम ही नामांतरकरण दर्ज होगा। पिता द्वितीय श्रेणी का वारिसान है। इसके पश्चात् माता की निर्वसीयती मृत्यु होने पर धारा 15 के प्रावधानानुसार संपति न्यागत होगी। धारा 16 के नियम 1 अनुसार धारा 15(1) की इन्ट्री अनुसार सर्वप्रथम संपति न्यागत होगी, जिसमें पुत्र व पुत्रियां (जिसमें पूर्व मृत पुत्र व पुत्रियों के बच्चे शामिल) तथा पति शामिल होगा।

(c)विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि नामांतरकरण की कार्यवाही एक प्रकार से समरी फिस्कल कार्यवाही मात्र है, जिसका स्कोप बहुत ही सीमित है, जिसमें पक्षकारों के हक, अधिकारों व स्वत्वों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। हक, अधिकार व स्वत्वों का निर्धारण केवल नियमित वाद दायर करके सक्षम न्यायालय से ही साक्ष्य सबूत पेश करके कराया जा सकता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न न्यायिक विनिश्चयों ने उक्त स्थिति को भलीभांति स्पष्ट कर दी है:–

1. Faqruddin V/S Tejuddin (2008)8 SCC - 12 D/d 16-05-2008
2. Premnath Khanna V/S Narendra Nath
3. Kapur (Dead) जरिये LRs V/S (2016)12 SCC 235
4. Bhima Bal Mahadev. Kambaker (Dead) through LRs V/S Arthur import and export Co. & Ors. (2019)3 SCC 191 D/d 31.01.2019
5. Balwant singh V/S Daulat Singh (1997)7 SCC 137
6. Nara Samma V/S State of Karnataka (2009)5 SCC 591
7. Suraj Bhan and Ors. V/S Financial Commissioner (2007)6 SCC 186
8. Jattu Ram V/S Hakam Singh AIR 1994 SC 1653
9. Narayan Prasad Agrawal V/S State of MP (2007)8 Scale 250
10. Swarni V/S Inder Kaur (1996)3 SCC 223

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या – 48/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/231

उक्त न्यायिक विनिश्चयों के अतिरिक्त समय समय पर माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय व अन्य माननीय उच्च न्यायालयों, माननीय सर्वोच्च न्यायालय व माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान ने नामांतरकरण की व्यक्ति के अधिकारों, हितो, स्वत्वों इत्यादि के संदर्भ में क्या स्थिति है, को भली भांति स्पष्ट कर दिया है तथा यह न्यायालय माननीय उच्चतर न्यायालयों द्वारा प्रतिपादित न्यायिक विनिश्चयों को मानने हेतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 141 के प्रावधानों अनुसार बाध्य है।

(d)हस्तगत अपील में आक्षेपित आराजी ख.नं. 491 का गलत तरीके से नामांतरकरण सं. 39 से घेवरिया के नाम बिना आदेश के व बिना खींयाराम की अनुमति के दर्ज करना बताया है, जिसकी अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी में अपील सं. 31/2012 (खींयाराम बनाम लादूराम) लंबित होना बताया है, जो पिछले 13 वर्ष से लंबित है, इसके अतिरिक्त घेवरिया की मृत्यु के बाद खींयाराम के पुत्रों को घेवरिया के पुत्र बताकर, उनके नाम अपीलाधीन नामांतरकरण दर्ज करने का आक्षेप लिया है, जिसमें हीराराम का नाम भी दर्ज है, परंतु इस अपील में हीराराम के वारिसान को प्रत्यर्थी के रूप में संयोजित नहीं किया है तथा यह कथन किया है कि हीराराम की मृत्यु हो चुकी है, हीराराम के पुत्र व पत्नी की भी मृत्यु हो चुकी है परंतु इसका कोई दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है। पिछले 46 वर्षों से राजस्व अभिलेखों में लादूराम, मांगीलाल, बगडूराम, हीराराम पि. घेवरराम के नाम इन्द्राजात लगातार चले आ रहे है। अपीलांट्स स्वयं को, किशनाराम के पुत्र/पुत्रियां/पत्नी के रूप में किशनाराम के वारिस होने का दावा कर रहे है तथा किशनाराम को, उक्त मांगीलाल, बगडूराम, लादूराम, हीराराम का भाई बता रहे है। अपीलांट्स के इस कथन को प्रत्यर्थीगण ने सहमति पत्र देकर स्वीकार कर लिया है परंतु साथ में यह भी अनुतोष मांगा है कि उनके पिता का नाम घेवरराम के स्थान पर खींयाराम दर्ज किया जावे।

10. उपरोक्त के अतिरिक्त अपील मीमों के पैरा सं. 01 में ख.नं. 491 की आराजी को पैतृक बताते हुए, उनके पूर्वज खींयाराम पुत्र सूराराम को दर्ज खातेदार बता रहे है तथा घेवरियां के नाम नामांतरकरण सं. 39 से गलत दर्ज होना जाहिर कर रंहे है, जिसकी अपील सं. 31/2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लुणी में लंबित है (खींयाराम बनाम लादूराम)। उक्त अपील में खींयाराम फौत होने के कारण खींयाराम के वारिसान की सूची अधिवक्ता द्वारा मांगने पर दिनांक 23.10.2023 को विवादग्रस्त

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

राजस्व अपील संख्या – 48/2025
जी सी एम एस नम्बर – 2025/231

आराजी घेवरिया के नाम गलत दर्ज होने की जानकारी होना अभिकथित कर रहे है। जब अपील सं. 31/2012 में दर्ज की गई थी, उस समय ही विवादग्रस्त आराजी घेवरिया के नाम दर्ज होना तथा घेवरियां के निधन के पश्चात् अपीलाधीन नामांतरकरण सं. 197 दिनांक 31.10.1971 की जानकारी खींयाराम व प्रत्यर्थीगण को तो हो चुकी थी, परंतु वर्तमान अपीलांट्स को इससे पूर्व जानकारी होने का कोई प्रमाण रिकॉर्ड पर उपलब्ध नहीं है। अपीलांट्स किशनाराम के वारिसान है तथा प्रत्यर्थीगण किशनाराम के भाई/भाईयों के वारिसान है तथा किशनाराम का नाम नामांतरकरण सं. 197 में दर्ज नहीं होने से अपील सं. 31/2012 में पक्षकार के रूप में किशनाराम या अपीलांट्स पक्षकार है या नहीं, यह तथ्य रिकॉर्ड के अभाव में प्रमाणित नहीं किया जा सकता। अतः दिनांक 23.10.2023 को जानकारी की तिथी से अपील को अंदर म्याद मानना न्यायहित में है तथा अपीलांट्स द्वारा अपील पेश करने में हुई देरी को सद्भाविक मानते हुए, देरी को क्षम्य किया जाता है तथा अपील को अंदर म्याद पेश होना शुमार किया जाता है एवं अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 म्याद अधिनियम स्वीकार किया जाता है तथा अपील प्रकरण का निस्तारण, उक्त पैरा 9 में की गई विस्तृत विवेचना के आधार पर, मेरिट पर निस्तारित किया जाना यह न्यायालय न्यायहित में उचित मानता है।

11. उपर्युक्तानुसार पैरा सं. 9 में विस्तृत रूप से किये गये तथ्यात्मक व विधिक विश्लेषणानुसार प्रकरण में अंतर्वलित कलिष्ट तथ्यों एवं कानूनी प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में, हस्तगत नामांतरकरण की अपील के जरिये अपीलांट्स के हकों, अधिकारों व हितों का निर्धारण नहीं किया जा सकता। इस प्रकरण में पहले से ही अपील सं. 13/2012 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, लूणी में लंबित है, जिसमें अपीलांट्स खींयाराम के वारिसान के रूप में संयोजित हो सकते है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में अंतर्वलित विवाद के बिंदुओं का निर्धारण सक्षम न्यायालय में नियमित वाद पेश करके अपने हकों, अधिकारों, स्वत्वों इत्यादि का निर्धारण समुचित साक्ष्य से करवाने हेतु अपीलांट्स स्वतंत्र है।
12. उपरोक्त विवेचनानुसार अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत यह अपील अस्वीकार योग्य है।

आदेश

13. उपरोक्त निष्कर्षानुसार अपीलांट्स द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।

अपर जिला कलक्टर (प्रथम)
जोधपुर

14. निर्णय की प्रति तहसीलदार, लुणी को अभिलेख के साथ लौटाई जावे (अगर प्राप्त हुआ है तो)
15. प्रकरण में लम्बित अन्य समस्त प्रार्थना पत्रों (यदि कोई हो तो) को तदनुसार निस्तारित किया जाता है।
16. पत्रावली बाद तामिल व तकमील फैसल सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। नंवर से कम हो।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
(प्रथम), जोधपुर

यह निर्णय आज दिनांक 29.08.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जवाहर चौधरी)
अतिरिक्त जिला कलेक्टर (प्रथम)
(प्रथम), जोधपुर